न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **58/2021 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री योगेश कुमार चौधरी पुत्र भंवरलाल चौधरी निवासी 11 डी 24 न्यू बापू नगर, भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :01-09.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 06.08.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 391769 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 18.06.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा को प्रेषित किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ को दिनांक 21.06.2021 को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.08.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 1152 दिनांक 26.08.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन–पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 07 में चाही गयी सूचना कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, सदर भीलवाड़ा से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी का आवेदन मूल ही कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ के पत्रांक 755–56 दिनांक 21.06.2021 से उप पुलिस अधीक्षक, सदर भीलवाड़ा को अंतरित किया जाकर प्रार्थी को जरिये डाक सूचित किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उप पुलिस अधीक्षक, सदर भीलवाड़ा को अंतरित कर दिये जाने एवं उप पुलिस अधीक्षक, सदर भीलवाड़ा के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ के विरूद्ध की गयी उक्त प्रथम अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 01-09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा